

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 414 / 2014
संस्थित दिनांक-17.06.14

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियोगी

वि रु द्ध

रामेश्वर पिता नफरु उम्र 36 वर्ष,
निवासी ग्राम जरवाह थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—
(आज दिनांक 13/02/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 139/14 के आधार पर दिनांक 06.06.14 को रात्रि 09:30 बजे स्थान जीवन के घर के समाने ग्राम जरवाय को धारदार वस्तु दराते से मारकर स्वैच्छाउपहति कारित करने के लिये भा.द. वि. की धारा-324 का आरोप है ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते है । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.14 को फरियादी कैलाश ने थाने पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि 9:30 बजे आरोपी रामेश्वर और उसका भांजा कुंदन ग्राम के चौपाल पर अश्लील गालिया दे रहे थे । जीवन ने उसे गालि देने से माना किया तो आरोपीगण ने उसे गालिया दी तथा रामेश्वर ने दराता जीवन को मारा जो बाये हाथ की हथेली में लगा वह समझाने गया तो रामेश्वर ने एक लट्ठ सिर पर मार दिया तथा दोनो आरोपीगण ने जान से मार देने की धमकी दी । घटना जितेन्द्र पिता बसंत, जितेन्द्र पिता मांगीलाल और नितेश ने देखी है । कैलाश की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 139/14 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया है ।

04. उक्त अनुसार आरोपी कुंदन पर का भादवि की धारा-294, 506 तथा आरोपी रामेश्वर पर भादस की धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 का आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया । विचारण के दौरान आहत कैलाश और जीवन द्वारा आरोपीगण से राजीनामा करने

के कारण आरोपीगण को भादस की धारा 294, 323 तथा 506 भाग-2 से दोषमुक्त किया गया है तथा कुंदन का विचारण समाप्त किया गया अब केवल आरोपी रामेश्वर का निर्णय किया जा रहा है। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया ।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 06.06.14 को रात्रि 09:30 बजे स्थान जीवन के घर के समाने ग्राम जरवाय पर आहत जीवन को धारदार वस्तु दराते से मारकर स्वैच्छा उपहति कारित की ?

:-सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कैलाश (असा.1) का कथन है कि ढेड साल पहले आरोपी रामेश्वर गालिया दे रहा था उसने आरोपी को गालि देने से मना किया तो झगड़ा होने लगा तथा जीवन पुजा की थाली पर गिर गया जिससे उसकी हथेली पर थाली को कोर लग गई, उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी जो प्रपी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादी जीवन को बाये हाथ की हथेली में दराता मारा था। साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी-1 तथा अपने पुलिस कथन प्रपी-2 में उक्त बातें लिखाने से स्पष्ट इंकार किया। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। लेकिन इस सुझाव से इंकार किया की जानीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

07. जीवन (असा.2) ने भी जमीन पर रखी थाली पर गिरने से अपने हाथ में चोट आना बताया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी रामेश्वर ने उसे हथेली पर दराता मार दिया था जिससे उसे चोट आई साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रपी-3 में भी उक्त बातें पुलिस को बताने से इंकार किया इस साक्षी ने भी स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। लेकिन इस सुझाव से इंकार किया की जानीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

08. ओमप्रकाश यादव (असा.3) ने दिनांक 06.06.14 को थाना ठीकरी के अप. क्र. 139/14 की विवेचना के दौरान फरियादी के बताये अनुसार नक्शामौका प्रपी-4 बनाया था। फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने, आरोपी रामेश्वर के पेश करने पर एक लोहे का पुराना दराता जप्त करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि

उसने असत्य विवेचना की है तथा वह असत्य कथन कर रहा है।

09. इस प्रकार राजीनामा होने के कारण फरियादी और साक्षी पक्षविरोधी रहे और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

10. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी रामेश्वर पिता नफरु उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम जरवाह थाना ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. को भा.द.वि. की धारा-324 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

11. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का पुराना दराता और एक बास की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट हो। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.